



# भारत का राजपत्र The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग III—खण्ड 4

PART III—Section 4

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 498]

नई दिल्ली, सोमवार, दिसम्बर 17, 2018/अग्रहायण 26, 1940

No. 498]

NEW DELHI, MONDAY, DECEMBER 17, 2018/AGRAHAYANA 26, 1940

केन्द्रीय होम्योपैथी परिषद्

अधिसूचना

नई दिल्ली, 14 दिसम्बर, 2018

सं. 12-11/2010-के हो प (पार्ट-II)(1).—केन्द्रीय होम्योपैथी परिषद्, होम्योपैथी केन्द्रीय परिषद् अधिनियम, 1973 (1973 का 59वाँ) की धारा 33 के खण्ड (झ), (ज) व (ट), धारा 20 की उप धारा (1) के साथ पठित प्रावधानों द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए केन्द्रीय सरकार की पूर्वानुमति से, होम्योपैथी (स्नातकोत्तर डिग्री पाठ्यक्रम), एम.डी. (होम) विनियम, 1989 में आगे संशोधन हेतु निम्न विनियम बनाती है अर्थात् :-

- (1) संक्षिप्त शीर्षक एवं प्रारंभ.—इन विनियमों का नाम होम्योपैथी (स्नातकोत्तर डिग्री पाठ्यक्रम), एम.डी. (होम) संशोधन विनियम, 2018 होगा ।  
(2) ये भारत के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे ।
- होम्योपैथी (स्नातकोत्तर डिग्री पाठ्यक्रम), एम.डी. (होम) विनियम, 1989 में, विनियम 4 में उप-विनियम (2) को निम्न उप-विनियम से प्रतिस्थापित किया जाएगा अर्थात् :-

“(2) (i) प्रत्येक शैक्षिक वर्ष में स्नातकोत्तर पाठ्यक्रम में प्रवेश हेतु स्नातकोत्तर स्तर पर समस्त आयुर्विज्ञान संस्थानों के लिए एक सामूहिक प्रवेश परीक्षा अर्थात् अखिल भारतीय आयुष स्नातकोत्तर प्रवेश परीक्षा (ए.आई.ए.-पी.जी.ई.टी.) होगी तथा जिसे केन्द्रीय सरकार द्वारा नामित प्राधिकारी द्वारा आयोजित कराया जाएगा;

परन्तु उक्त अखिल भारतीय आयुष स्नातकोत्तर प्रवेश परीक्षा (ए.आई.ए.-पी.जी.ई.टी.) विदेशी राष्ट्रीयता के अभ्यर्थियों के लिए लागू नहीं होंगी ।

(ii) किसी शैक्षिक वर्ष हेतु स्नातकोत्तर पाठ्यक्रम में प्रवेश की पात्रता हेतु अभ्यर्थी को उस शैक्षिक वर्ष के लिए आयोजित अखिल भारतीय आयुष स्नातकोत्तर प्रवेश परीक्षा (ए.आई.ए.पी.जी.ई.टी.) में न्यूनतम अंक 50वाँ प्रतिशतक प्राप्त करना अनिवार्य होगा;

परन्तु निम्न के संबंध में—

(क) अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति एवं अन्य पिछड़ा वर्ग के अभ्यर्थियों के मामले में न्यूनतम अंक 40वाँ प्रतिशतक होंगे;

(ख) दिव्यांगजन अधिकार अधिनियम, 2016 (2016 का 49) के अधीन विनिर्दिष्ट संदर्भित दिव्यांगजन (बेंचमार्क) रखने वाले अभ्यर्थियों के मामलों में सामान्य श्रेणी हेतु न्यूनतम अंक 45वाँ प्रतिशतक, अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति/अन्य पिछड़ा वर्ग हेतु न्यूनतम अंक 40वाँ प्रतिशतक होंगे ।



**टिप्पणी :** प्रतिशतक का निर्धारण अखिल भारतीय आयुष स्नातकोत्तर प्रवेश परीक्षा (ए.आई.ए.—पी.जी.ई.टी.) में अखिल भारतीय सामूहिक योग्यता क्रम सूची में उच्चतम प्राप्तांकों के आधार पर किया जाएगा;

परन्तु आगे जब संबंधित श्रेणियों में उम्मीदवारों की उचित संख्या में स्नातकोत्तर पाठ्यक्रमों में प्रवेश हेतु किसी शैक्षिक वर्ष के लिए आयोजित किए गए अखिल भारतीय आयुष स्नातकोत्तर प्रवेश परीक्षा (ए.आई.ए.—पी.जी.ई.टी.), जैसा कि ऊपर विनिर्दिष्ट है, में निर्धारित न्यूनतम अंक प्राप्त करने में असफल हो जाए तो केन्द्रीय सरकार केन्द्रीय परिषद् के परामर्श कर अपने विवेक से संबंधित श्रेणियों के अभ्यर्थियों के लिए स्नातकोत्तर पाठ्यक्रम में प्रवेश हेतु अपेक्षित न्यूनतम अंको को कम कर सकती है तथा केन्द्रीय सरकार द्वारा कम किए गए अंक मात्र उस शैक्षिक वर्ष हेतु लागू होंगे;

(iii) अखिल भारतीय आयुष स्नातकोत्तर प्रवेश परीक्षा (ए.आई.ए.—पी.जी.ई.टी.) में प्राप्त अंकों के आधार पर पात्र अभ्यर्थियों की एक अखिल भारतीय योग्यता क्रमसूची एवं राज्यवार योग्यता क्रमसूची तैयार की जाएगी तथा अभ्यर्थी जो कि संबंधित श्रेणियों के अन्तर्गत आते हैं, उनका प्रवेश स्नातकोत्तर उपाधि पाठ्यक्रम में मात्र इन सूचियों से होगा।

(iv) शासकीय, शासकीय अनुदान प्राप्त संस्थानों तथा निजी संस्थानों में प्रवेश के लिए सीट मैट्रिक्स अखिल भारतीय कोटा पंद्रह प्रतिशत एवं राज्यों और संघशासित प्रदेशों के लिए पचासी प्रतिशत होगा।

(v) राज्य सरकार, विश्वविद्यालय, मानित विश्वविद्यालय, ट्रस्ट, सोसाइटी, अल्पसंख्यक संस्थान, निगम अथवा कंपनी द्वारा स्थापित संस्थानों सहित राज्यों और संघशासित प्रदेशों के सभी होम्योपैथी आयुर्विज्ञान संस्थानों में स्नातकोत्तर पाठ्यक्रम में प्रवेश के लिए परामर्श हेतु नामित प्राधिकारी, संबंधित राज्य एवं संघशासित प्रदेश के नियमों तथा विनियमों के अनुसार, जैसा भी मामला हो, राज्य शासन अथवा संघशासित प्रदेश होंगे।

(vi) अखिल भारतीय कोटे के सीटों के साथ साथ केन्द्र सरकार द्वारा स्थापित सभी होम्योपैथी संस्थानों में स्नातकोत्तर पाठ्यक्रमों में प्रवेश हेतु परामर्श, केन्द्र सरकार द्वारा निर्दिष्ट प्राधिकारी द्वारा आयोजित किया जायेगा।

(vii) अभ्यर्थी जोकि उपर्युक्त निर्दिष्ट न्यूनतम योग्यता अंक प्राप्त करने में विफल रहा हो, उसे उक्त शैक्षणिक वर्ष में स्नातकोत्तर पाठ्यक्रम में प्रवेश नहीं दिया जाएगा।

(viii) इन विनियमों द्वारा प्रवेश के संबंध में निर्धारित मानदंड अथवा प्रक्रिया का उल्लंघन कर कोई भी प्राधिकारी अथवा संस्था किसी भी अभ्यर्थी को स्नातकोत्तर पाठ्यक्रम में प्रवेश नहीं देगा और उक्त मानदंड अथवा प्रक्रिया का उल्लंघन कर प्रवेशित अभ्यर्थी को केन्द्रीय परिषद् द्वारा अविलंब हटा दिया जायेगा।

(ix) किसी भी छात्र को उक्त मानदंड अथवा प्रक्रिया का उल्लंघन करके प्रवेश प्रदान करने वाले प्राधिकरण अथवा संस्था के विरुद्ध अधिनियम के प्रावधानों के अन्तर्गत कार्रवाई की जाएगी।

डॉ. आशिस दत्ता, रजिस्ट्रार—सह—सचिव

[विज्ञापन—III/4/असा./419/18]

**नोट :** मूल विनियमों को भारत के असाधारण राजपत्र भाग—III, खण्ड 4 में संख्या 12-18/89-के.हो.प. के द्वारा दिनांक 16 नवंबर, 1989 को प्रकाशित किया गया तथा तत्पश्चात निम्न संशोधन किए :-

1. 12-3/91-के.हो.प. दिनांक 22 फरवरी, 1993;
2. 12-3/91-के.हो.प.(पार्ट) दिनांक 05 नवंबर, 2001;
3. 12-2/2006-के.हो.प.(पार्ट) दिनांक 05 मार्च, 2012 तथा
4. 12-11/2010-के.हो.प.(पार्ट) दिनांक 28 मार्च, 2016;



## CENTRAL COUNCIL OF HOMOEOPATHY

### NOTIFICATION

New Delhi, the 14th December, 2018

**No. 12-11/2010-CCH(Pt.II)(1).**—In exercise of the powers conferred by clauses (i), (j) and (k) of section 33 read with sub-section (1) of section 20 of the Homoeopathy Central Council Act, 1973 (59 of 1973), the Central Council of Homoeopathy, with the previous sanction of the Central Government, hereby makes the following regulations further to amend the Homoeopathy (Post Graduate Degree Course) M.D. (Hom.) Regulations, 1989 namely: -

**1. Short title and commencement. -**

- (1) These regulations may be called the Homoeopathy (Post Graduate Degree Course) M.D.(Hom.) Amendment Regulations, 2018.
- (2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.

**2. In the Homoeopathy (Post Graduate Degree Course) M.D. (Hom.) Regulations, 1989, in regulation 4, for sub-regulation (2), the following sub-regulation shall be substituted, namely:-**

“(2) (i) There shall be a uniform entrance examination to all medical institutions at the postgraduate level namely, the All India AYUSH Post Graduate Entrance Test (AIA-PGET) in each academic year and shall be conducted by an authority designated by the Central Government:

Provided that the said All India AYUSH Post Graduate Entrance Test (AIA-PGET) shall not be applicable for foreign national's candidates.

(ii) In order to be eligible for admission to postgraduate course for an academic year, it shall be necessary for a candidate to obtain minimum of marks at 50th percentile in the 'All India AYUSH Post Graduate Entrance Test (AIA-PGET)' held for the said academic year:

Provided that in respect of-

- (a) candidates belonging to the Scheduled Castes, Scheduled Tribes and Other Backward Classes, the minimum marks shall be at 40th percentile;
- (b) candidates with benchmark disabilities specified under the Rights of Persons with Disabilities Act, 2016 (49 of 2016), the minimum marks shall be at 45th percentile for General Category and 40th percentile for the Scheduled Castes, Scheduled Tribes and Other Backward Classes.

*Explanation.* - The percentile shall be determined on the basis of highest marks secured in the all India common merit list in the All India AYUSH Post Graduate Entrance Test (AIA-PGET):

Provided further that when sufficient number of candidates in the respective categories fail to secure minimum marks in the All India AYUSH Post Graduate Entrance Test (AIA-PGET), as specified above, held for any academic year for admission to postgraduate courses, the Central Government in consultation with Central Council may at its discretion lower the minimum marks required for admission to postgraduate course for candidates belonging to respective categories and marks so lowered by the Central Government shall be applicable for that academic year only.

(iii) An all India common merit list as well as State-wise merit list of the eligible candidates shall be prepared on the basis of the marks obtained in the All India AYUSH Post Graduate Entrance Test (AIA-PGET) and the candidates, within the respective categories, shall be admitted to post graduate course from the said merit lists only.

(iv) The seat matrix for admission in the Government, Government-aided Institutions and Private Institutions shall be fifteen per cent. for the all India quota and eighty-five per cent. for the States and Union territories quota.

(v) The designated authority for counseling for all admissions to postgraduate course in all Homoeopathy educational institutions in the States and Union territories including institutions established by the States Government, University, Deemed University, Trust, Society, Minority Institution, Corporation or Company shall be the respective State or Union territory in accordance with the relevant rules and regulations of the concerned State or Union territory Government, as the case may be.



(vi) The counseling for all admissions to postgraduate course for seats under the all India quota as well as for all Homoeopathy educational institutions established by the Central Government shall be conducted by the authority designated by the Central Government.

(vii) No candidate who has failed to obtain the minimum eligibility marks as specified above shall be admitted to postgraduate course in the said academic year.

(viii) No authority or institution shall admit any candidate to the postgraduate course in contravention of the criteria or procedure as laid down by these regulations in respect of admissions and any candidate admitted in contravention of the said criteria or procedure shall be discharged by the Central Council forthwith.

(ix) The authority or institution which grants admission to any student in contravention of the aforesaid criteria or procedure shall be liable to face action in terms of the provisions of the Act.”

Dr. ASHIS DATTA, Registrar –Cum –Secy.

[ADVT.-III/4/Exty./419/18]

**Note :** The principal regulations were published in the Gazette of India, Extraordinary, Part-III, Section 4, vide No.12-18/89-CCH, dated the 16th November, 1989 and subsequently Amended vide:-

1. 12-3/91-CCH, dated the 22nd February, 1993;
2. 12-3/91-CCH(Pt.), dated the 5th November, 2001;
3. 12-2/2006-CCH(Pt.), dated 5th March, 2012; and
4. 12-11/2010-CCH(Pt.), dated the 28th March, 2016.



# भारत का राजपत्र The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग III—खण्ड 4

PART III—Section 4

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 284]

नई दिल्ली, शुक्रवार, अगस्त 2, 2019/ श्रावण 11, 1941

No. 284]

NEW DELHI, FRIDAY, AUGUST 2, 2019/SHRAVANA 11, 1941

## होम्योपैथी केन्द्रीय परिषद्

### अधिसूचना

नई दिल्ली, 2 अगस्त, 2019

सं.12-11/2010-के.हो.प (पार्ट-II)(1).—होम्योपैथी केन्द्रीय परिषद् अधिनियम, 1973 (1973 का 59 वाँ) की धारा 20 के उप-विनियम (1) के साथ पठित धारा 33 के खण्ड (झ) (ज) (ट) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए केन्द्रीय होम्योपैथी परिषद्, केन्द्रीय सरकार की पूर्व मंजूरी से, होम्योपैथी (स्नातकोत्तर डिग्री पाठ्यक्रम) एम.डी.(होम.) विनियम, 1989 में आगे संशोधन हेतु निम्न विनियम बनाती है, अर्थातः—

- (i) इन विनियमों को होम्योपैथी (स्नातकोत्तर डिग्री पाठ्यक्रम) एम.डी.(होम.) द्वितीय संशोधन विनियम, 2019 कहा जाएगा ।  
(ii) ये सरकारी राजपत्र प्रकाशन की तारीख से प्रवृत्त होंगे ।  
(iii) ये विनियम उन छात्रों पर लागू होंगे जो कि एम.डी.(होम.) पाठ्यक्रम में शैक्षणिक सत्र 2019-2020 से प्रारंभ होने वाले सत्र में प्रवेशित होंगे ।
- होम्योपैथी (स्नातकोत्तर डिग्री पाठ्यक्रम) एम.डी.(होम.), 1989 (यहाँ इसके पश्चात उक्त विनियम के नाम से उल्लेखित) के विनियम 4 के उप-विनियम (2) (ii) में (ख) के पश्चात निम्न उप-खण्ड को जोड़ा जाएगा अर्थातः—

“(ग) सरकारी या सरकारी सहायता प्राप्त उच्चतर शैक्षणिक संस्थानों में, वार्षिक स्वीकृत प्रवेश क्षमता की पाँच प्रतिशत सीटें; ‘अखिल भारतीय आयुष्म स्नातकोत्तर प्रवेश परीक्षा (एआईए-पीजीईटी) की मेरिट सूची के आधार पर, दिव्यांगजन व्यक्तियों के अधिकार अधिनियम, 2016 (2016 का 49वाँ) के उपबंधों के अनुसार बैचमार्क विकलांगता वाले अभ्यर्थियों द्वारा भरी जाएगी। इस उद्देश्य के लिए, दिव्यांगजन व्यक्तियों के अधिकार अधिनियम, 2016 (2016 का 49वाँ) में दी गई ‘विशिष्ट विकलांगता’ अनुलग्नक ‘I’ पर संलग्न हैं और होम्योपैथी चिकित्सा पाठ्यक्रम में पढ़ने हेतु विकलांगता वाले अभ्यर्थियों की पात्रता, अनुलग्नक ‘II’ के अनुसार होगी। यदि किसी श्रेणी विशेष में, विकलांग व्यक्तियों के लिए आरक्षित सीटें, अभ्यर्थियों की अनुपलब्धता के कारण रिक्त रह जाती हैं, तो इन सीटों को संबंधित श्रेणी के लिए वार्षिक स्वीकृत सीटों में शामिल कर लिया जाएगा।”

3. उक्त विनियम में विनियम 13 के पश्चात निम्न अनुलग्नकों को जोड़ा जायेगा अर्थात:-

### अनुलग्नक 'I'

#### (विनियम 4 देखें )

दिव्यांगजन व्यक्तियों के अधिकार अधिनियम, 2016 (2016 का 49वाँ) की धारा 2 के खंड (य ग) में "विनिर्दिष्ट विकलांगता" के संदर्भ में एक अनुसूची संलग्न है, जिसमें कि निम्न का उल्लेख किया गया है:-

#### 1. शारीरिक विकलांगता

क. गतिक विकलांगता (मस्कुलोस्केलेटल या स्नायु तंत्र या दोनों की वेदना के परिणामस्वरूप स्वयं के चलने-फिरने और वस्तुओं को लाने-ले जाने से संबद्ध भिन्न-भिन्न क्रियाकलाप करने में किसी व्यक्ति की असमर्थता), जिसमें निम्नलिखित शामिल है:

(क) 'कुष्ठरोग मुक्त व्यक्ति' का अर्थ है कोई ऐसा व्यक्ति, जिसको कुष्ठरोग मुक्त कर दिया गया है, परंतु वह निम्नलिखित से पीड़ित है:

- (i) हाथों या पैरों में संवेदन की क्षति या आंख तथा आंख के पलक में आंशिक घात, परंतु विरूपता की कोई अभिव्यक्ति नहीं;
- (ii) अभिव्यक्त विरूपता और आंशिक घात, परंतु सामान्य आर्थिक क्रियाकलाप में लगने के लिए उन्हें समर्थ बनाने हेतु उनके हाथों और पैरों में पर्याप्त गतिकता;
- (iii) अत्यधिक शारीरिक विरूपता और अधिक आयु, जो उसे कोई लाभप्रद व्यवसाय करने से रोकती है और "कुष्ठरोग मुक्त" अभिव्यक्ति को तदनुसार माना जाएगा।

(ख) "प्रमस्तिष्काघात" का अर्थ है — आमतौर पर जन्म से पहले, के दौरान या जन्म के शीघ्र पश्चात होने वाले, मस्तिष्क के एक या एक से अधिक विशिष्ट क्षेत्रों में क्षति द्वारा पहुंचा, शरीर को हिलाने-डुलाने और मांसपेशी समन्वय को प्रभावित करने वाली गैर-प्रगामी तंत्रिकाविज्ञान संबंधी दशा का एक समूह;

(ग) "बौनापन" का अर्थ है—एक चिकित्सीय या वंशागत दशा, जिसके परिणामस्वरूप किसी वयस्क व्यक्ति का कद 4 फुट 10 इंच (147 सें.मी.) या इससे कम हो;

(घ) "मस्कुलर डिसट्राफी" का अर्थ है—आनुवांशिक जेनेटिक मांसपेशीय रोगों का एक समूह, जो उन मांसपेशियों को कमजोर बना देता है जो मानव शरीर को चलायमान रखती हैं और बहुल डिसट्राफी वाले व्यक्तियों में उनके जीन्स में गलत और गायब सूचना होती है जो उन्हें वह प्रोटीन बनाने से रोकती है, जो स्वस्थ मांसपेशियों के लिए आवश्यक है। इसके कारण प्रगामी स्केलेटल मांसपेशी की कमजोरी, मांसपेशीय प्रोटीन में दोष और मांसपेशीय कोशिकाओं और ऊतकों की मृत्यु हो जाती है;

(ग) "ऐसिड प्रहार से पीड़ित व्यक्ति" का अर्थ है — ऐसिड या इसी प्रकार के क्षयकारी पदार्थ फेंकने द्वारा हिंसात्मक प्रहारों के कारण विरूपित कोई व्यक्ति।

ख. दृष्टि बाधिता—

(क) "नेत्रहीनता" का अर्थ है एक ऐसी स्थिति, जहां किसी व्यक्ति की स्थिति सर्वोत्तम सुधार के पश्चात निम्नलिखित स्थितियों में से कोई हो:

- (i) दृष्टि का पूर्ण अभाव; या
- (ii) सर्वोत्तम संभावित सुधार के साथ बेहतर आंख में 3/60 के कम या 10/200 (स्नेलन) से कम चाक्षुक तीक्ष्णता; या
- (iii) 10 डिग्री से कम का एंगल अंतरित करने वाली दृष्टि की फील्ड की सीमा।

(ख) "निम्न दृष्टि" का अर्थ है—एक ऐसी स्थिति, जहां किसी व्यक्ति की निम्नलिखित स्थितियों में से कोई एक स्थिति हो, नामतः

- (i) सभी संभावित सुधारों के साथ बेहतर आंख में 6/18 से अधिक चाक्षुक तीक्ष्णता न हो या 20/60, 3/60 से कम चाक्षुक तीक्ष्णता हो या 10/200 तक (स्नेलन) हो।
- (ii) 10 डिग्री तक 40 डिग्री से कम का एंगल अंतरित करने वाली दृष्टि की फील्ड की सीमा।

- ग. श्रवण क्षति —
- (क) “बधिर” का अर्थ है—दोनों कानों में वाणी बारंबारताओं में 70 डीबी श्रवण क्षति वाले व्यक्ति;
- (ख) “कम सुनने वाला” का अर्थ है—दोनों कानों में वाणी बारंबारताओं में 60 डीबी से 70 डीबी श्रवण क्षति वाला व्यक्ति;
- घ. “वाणी एवं भाषा विकलांगता” का अर्थ है—स्वरयंत्र उच्छेदन या वाचाघात जैसी स्थितियों से उत्पन्न एक स्थायी विकलांगता, जो आंगिक या तंत्रिका संबंधी कारणों से वाणी और भाषा के एक या एक से अधिक घटकों को प्रभावित करती हो।
2. बौद्धिक विकलांगता, एक ऐसी स्थिति, जो बौद्धिक कार्यचालन (तर्कसंगतता, ज्ञानार्जन, समस्या का समाधान करने) और ग्रहणशील व्यवहार दोनों में पर्याप्त सीमा वाली हो, जो दिन-प्रति दिन के सामाजिक और व्यावहारिक कौशलों की एक रेंज कवर करती हो, जिसमें निम्नलिखित शामिल हैं:
- (क) “विशिष्ट ज्ञानार्जन विकलांगता” का अर्थ है—स्थितियों का एक विजातीय समूह, जिसमें भाषा, बोली जाने वाली या लिखित का प्रोसेसिंग करने में कमी है, जो समझने, बोलने, पढ़ने, लिखने, वर्तनी या अंकगणितीय परिकलन करने में कठिनाई के रूप में अपने आपको अभिव्यक्त कर सकती है और इसमें अवधारणात्मक विकलांगताएं, डिसलेक्सिया, डिसग्राफिया, डिसकैलकुलिया, डिसप्रॉक्सिया और विकासात्मक वाचाघात जैसी स्थितियां शामिल हैं।
- (ख) “आत्मविमोह स्पेक्ट्रम विकृति” का अर्थ है—एक तंत्रिका विकासात्मक स्थिति, जो विशेष रूप से जीवन के पहले तीन वर्षों में दिखाई देती है, जो संप्रेषित करने, संबंधों को समझने की किसी व्यक्ति की योग्यता को महत्वपूर्ण रूप से प्रभावित करती है और अन्य से भी संबंधित है तथा यह असामान्य या एक ही प्रकार की विधियों या व्यवहारों के साथ निरंतर जुड़ी हुई है।
3. मानसिक व्यवहार —“मानसिक रोग” का अर्थ है—विचार करने, मनोवृत्ति, अवधारणा, अभिमुखीकरण या स्मरण शक्ति की एक पर्याप्त विकृति जो जीवन की सामान्य मांगें पूरी करने की योग्यता या वास्तविकता समझने के लिए निर्णय, व्यवहार, क्षमता को काफी क्षति पहुंचाती है, परंतु इसमें ऐसी मंदबुद्धिता शामिल नहीं है, जो किसी व्यक्ति के मस्तिष्क के अपूर्ण विकास या समाप्त करने की एक स्थिति है, जो विशेष रूप से बुद्धि की उप-सामान्यता द्वारा प्रदर्शित होती है।
4. निम्नलिखित के कारण विकलांगता—
- (क) चिरकालिक तंत्रिका-विज्ञान संबंधी स्थितियां, जैसे—
- (i) “बहुल ऊतक काठिन्य” का अर्थ है — सूजन, स्नायु तंत्र रोग जिसमें मस्तिष्क एवं मेरुदंड के आसपास की स्नायु की कोशिकाओं के अक्षतंतुओं के आसपास की कवक-जाल क्षतिग्रस्त हो जाती है, जिसके परिणामस्वरूप विसंन्धीकरण हो जाता है और एक-दूसरे के साथ संप्रेषण करने के लिए मस्तिष्क और मेरुरज्जु में स्नायु कोशिकाओं की योग्यता प्रभावित होता है।
- (ii) “पार्किन्सन रोग” का अर्थ है — कंपन्न, मांसपेशीय कठोरता और धीमापन, इम्प्रेसाइज मूवमेंट से पहचाने जाने वाला स्नायु तंत्र का एक प्रगामी रोग, जो मुख्यतः अर्धे आयु के व्यक्तियों और वृद्धजनों को प्रभावित करता है जोकि मस्तिष्क की बेसल गंगलिया को कमजोर करने और न्यूरोट्रांसमीटर डोपामिन की कमी से संबंधित है।
- (ख) रक्त विकृति —
- (i) “अधिरक्तस्राव” का अर्थ है—एक आनुवंशिक रोग, जो आमतौर पर केवल पुरुषों को प्रभावित करता है, परंतु उनके पुरुष बच्चों में महिलाओं द्वारा संक्रमित होता है, जिसके कारण रक्त की जमने की सामान्य क्षमता नष्ट या क्षतिग्रस्त हो जाती है और इसके परिणामस्वरूप अवयस्क व्यक्तियों में घातक रक्तस्राव हो सकता है;
- (ii) “थैलासीमिया” का अर्थ है—आनुवंशिक विकृतियों का एक समूह, जिसके कारण हिमोग्लोबिन की मात्रा कम हो जाती है या उसका अभाव हो जाता है;
- (iii) “सिक्कल सेल रोग” का अर्थ है—एक हिमोलिटिक विकृति, जिसके कारण चिरकालिक रक्ताल्पता, दर्द वाली स्थितियां हो जाती हैं और संबद्ध ऊतक तथा अंगों की क्षति के कारण विभिन्न जटिलताएं उत्पन्न

हो जाती हैं; "हिमोलाइटिक; लाल रक्त कोशिकाओं की झिल्ली के नष्ट होने से संबंधित है, जिसके परिणामस्वरूप हिमोग्लोबिन स्त्राव हो जाता है।

5. बधिरता, अंधापन सहित बहुल-विकलांगताएं (उपर्युक्त विशिष्टीकृत विकलांगताओं में से एक से अधिक), जिसका अर्थ है एक ऐसी स्थिति, जिसमें किसी व्यक्ति को श्रवण और चाक्षुक क्षतियों का संयोजन हो सकता है जिसके कारण गंभीर संप्रेषण, विकासात्सक और शैक्षणिक समस्याएं हो सकती हैं।
6. कोई अन्य श्रेणी, जो केंद्रीय सरकार द्वारा अधिसूचित की जाए।

**टिप्पणी :** दिव्यांगजन व्यक्तियों के अधिकार अधिनियम, 2016 (2016 का 49वाँ) की अनुसूची में होने वाले किसी भी संशोधन के परिणामस्वरूप उपर्युक्त अनुसूची में स्वतः संशोधन हो जाएगा।

## अनुलग्नक— II

### (विनियम 4 देखें )

होम्योपैथिक चिकित्सा के स्नातकोत्तर पाठ्यक्रम में दाखिले हेतु 'दिव्यांगजन व्यक्तियों के अधिकार अधिनियम, 2016 (2016 का 49वाँ) के अंतर्गत " विशिष्ट विकलांगता" वाले छात्रों हेतु मार्ग दर्शिका ।

**टिप्पणी:—**

1. 'विकलांगता का प्रमाणपत्र', 15 जून, 2017 को सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय, [विकलांग व्यक्ति (दिव्यांगजन) सशक्तिकरण विभाग] द्वारा भारत के राजपत्र में अधिसूचित विकलांग व्यक्तियों के अधिकार नियमावली, 2017 के अनुसार जारी किया जाएगा।
2. किसी व्यक्ति में 'विशिष्ट विकलांगता' की सीमा, 5 जनवरी, 2018 को सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय [विकलांग व्यक्ति (दिव्यांगजन) सशक्तिकरण विभाग] द्वारा भारत के राजपत्र में अधिसूचित 'विकलांग व्यक्तियों के अधिकार अधिनियम, 2016 (2016 का 49) के अंतर्गत शामिल किए गए किसी व्यक्ति में विशिष्ट विकलांगता की सीमा आंकने के उद्देश्य के लिए दिशानिर्देश' के अनुसार आंकी जाएगी।
3. विशिष्ट विकलांगता वाले व्यक्तियों के लिए आरक्षण का लाभ प्राप्त करने की दृष्टि से विकलांगता की न्यूनतम डिग्री 40% (बैंचमार्क विकलांगता) होनी चाहिए।
4. 'शारीरिक रूप से विकलांग' (शा.वि.) शब्द के बजाए 'विकलांग व्यक्ति (वि.व्य.)' शब्द का इस्तेमाल किया जाएगा।

क्र. स.	विकलांगता प्रकार	विकलांगताओं का प्रकार	विनिर्दिष्ट विकलांगता	विकलांगता की सीमा		
				स्नातकोत्तर पाठ्यक्रम के लिए पात्र, पीडब्लूडी कोटा के लिए पात्र नहीं	स्नातकोत्तर पाठ्यक्रम के लिए पात्र, पीडब्लूडी कोटा के लिए पात्र	स्नातकोत्तर पाठ्यक्रम के लिए पात्र नहीं
1.	शारीरिक विकलांगता	क. विनिर्दिष्ट विकलांगताओं सहित गतिक विकलांगता (क से च)	क. कुष्ठ रोग से मुक्त व्यक्ति* ख. प्रमस्तिष्कीय पक्षाघात** ग. बौनापन घ. मांसपेशीय डिस्ट्राफी इ. तेजाब के प्रहार से पीड़ित च. अन्य*** जैसे अंगविच्छेदन, पोलियोम्येलाइटिस आदि	40% से कम विकलांगता	40-80% विकलांगता  80% से अधिक विकलांगता वाले व्यक्तियों को भी मामला दर मामला आधार पर अनुमति दी जा सकती है और उनकी कार्यात्मक सक्षमता, सहायक उपकरणों, यदि इनका प्रयोग किया जा रहा है, की सहायता से, यह देखने के लिए,	80% से अधिक विकलांगता



					निर्धारित की जाएगी कि क्या इसे 80% से नीचे लाया गया है और क्या उनके पास ऐसी पर्याप्त चालक योग्यता है, जो वह पाठ्यक्रम जारी रखने और संतोषजनक ढंग से पूरा करने के लिए आवश्यक है ।	
			<p>*ऊंगलियों, हाथों में संवेदन की क्षति, अंगविच्छेद और आंखों की अंतर्ग्रस्तता पर ध्यान दिया जाना चाहिए तथा तदनुरूपी अनुशंसाएं देखी जानी चाहिए ।</p> <p>**दृष्टि, श्रवण की संज्ञानात्मक कार्य की क्षति पर ध्यान दिया जाना चाहिए और तदनुरूपी अनुशंसाएं देखी जानी चाहिए ।</p> <p>***चिकित्सा पाठ्यक्रम के लिए पात्र माने जाने के लिए दोनों हाथों का, अक्षुण्ण संवेदनाओं, पर्याप्त शक्ति और गति के रेंज के साथ अक्षुण्ण होना आवश्यक है ।</p>			
		ख. दृष्टि क्षति (*)	क. नेत्रहीनता	40% से कम विकलांगता	—	40% के बराबर या इससे अधिक विकलांगता
			ख. निम्न दृष्टि			
		ग.श्रवण क्षति @	क. बहरा	40% से कम विकलांगता	—	40% के बराबर या इससे कम विकलांगता
			ख. कम सुनाई देना			
			<p>(*) 40% से अधिक की दृष्टि क्षति/दृष्टि विकलांगता वाले व्यक्तियों को स्नातकोत्तर चिकित्सा शिक्षा में पढ़ने के लिए पात्र बनाया जा सकता है और इस शर्त के अधीन आरक्षण दिया जा सकता है कि दृष्टि विकलांगता को आधुनिक निम्न दृष्टि सहायक उपकरण जैसे कि टेलीस्कोप/मेग्नीफायर इत्यादि की सहायता से 40% के बैचमार्क से कम के स्तर तक लाया जाए ।</p> <p>(@) 40% से अधिक की श्रवण विकलांगता वाले व्यक्तियों को स्नातकोत्तर चिकित्सा शिक्षा में पढ़ने के लिए पात्र बनाया जा सकता है और इस शर्त के अधीन आरक्षण दिया जा सकता है कि श्रवण विकलांगता को सहायक उपकरणों की सहायता से 40% के बैचमार्क से कम के स्तर तक लाया जाए ।</p> <p>इसके अलावा, व्यक्ति के पास 60% से अधिक का वाक् विवेक स्कोर होना चाहिए ।</p>			
		घ. वाक् एवं भाषा विकलांगताएं \$	आर्गनिक/तंत्रीय कारण	40% से कम विकलांगता	—	40% के बराबर या इससे कम विकलांगता
			<p>\$ वाक् बुद्धिमत्ता प्रभावित (एसआईए) वाले व्यक्ति स्नातकोत्तर पाठ्यक्रमों में पढ़ने के पात्र होंगे बशर्ते वाक् बुद्धिमत्ता प्रभावित (एसआईए) स्कोर 3 से अधिक नहीं हो, जोकि 40% या उससे कम हो ।</p> <p>वाचाघात वाले व्यक्ति स्नातकोत्तर पाठ्यक्रम में पढ़ने के पात्र होंगे बशर्ते कि वाचाघात लक्षि (एक्यू) 40% या उससे कम हो ।</p>			
2.	बौद्धिक विकलांगता		क. विशिष्ट ज्ञानार्जन विकलांगताएं (बोधात्मक विकलांगता, डिस्लेक्सिया, डिस्कैलकुलिया, डिस्प्राक्सिया और विकासात्मक	# वर्तमान में एसपीएलडी की गंभीरता आंकने के लिए कोई मात्राकरण पैमाना नहीं है, इसलिए 40% का कट ऑफ, मनमाना है और इसके लिए अधिक साक्ष्य की आवश्यकता है ।		
				40% से कम विकलांगता	40% के बराबर या इससे अधिक विकलांगता और 80% के बराबर या इससे कम विकलांगता ।	80% से अधिक या गंभीर स्वरूप या पर्याप्त संज्ञानात्मक/बौद्धिक

			एफासिया)#		परन्तु चयन, रिमेडिएशन सहायता प्राप्त प्रौद्योगिकी / उपकरणों / विशेषज्ञ पैनल द्वारा किए गए अवसंरचनात्मक परिवर्तनों की सहायता से मूल्यांकन की गई ज्ञानार्जन सक्षमता पर आधारित होगा।	विकलांगता
			ख. आत्म-विमोह स्पेक्ट्रम विकृति	विकलांगता का अभाव या मामूली विकलांगता अस्परजर सिंड्रोम (आई. एस.ए.ए. के अनुसार 40%–60% तक की विकलांगता), जहां व्यक्ति को किसी विशेषज्ञ पैनल द्वारा स्नातकोत्तर के लिए उपयुक्त माना जाता है।	मानसिक बीमारी की मौजूदगी या सीमा स्थापित करने की उद्देश्य परक पद्धति के अभाव के कारण संस्तुत नहीं किया गया। तथापि आरक्षण / कोटे के लाभ पर, विकलांगता आंकने की बेहतर पद्धतियां विकसित कर लिए जाने के पश्चात् विचार किया जा सकता है।	60% से अधिक विकलांगता या संज्ञानात्मक / बौद्धिक विकलांगता और / या यदि व्यक्ति, विशेषज्ञ पैनल द्वारा स्नातकोत्तर पाठ्यक्रम जारी रखने के लिए अनुपयुक्त बताया गया है।
3.	मानसिक व्यवहार		मानसिक रोग	विकलांगता का अभाव या मामूली विकलांगता: 40% से कम (आई.डी.ई.ए.एस. के अंतर्गत)	मानसिक बीमारी की मौजूदगी या सीमा स्थापित करने की उद्देश्य परक पद्धति के अभाव के कारण संस्तुत नहीं किया गया। तथापि, आरक्षण / कोटे के लाभ पर, विकलांगता आंकने की बेहतर पद्धतियां विकसित कर लिए जाने के पश्चात् विचार किया जा सकता है।	40% के बराबर या इससे अधिक विकलांगता या यदि व्यक्ति को अपनी ड्यूटियां करने के लिए अनुपयुक्त माना जाता है। “मेडिसिन में प्रैक्टिस करने के लिए फिटनेस” की परिभाषा के लिए मानक तैयार किए जाएं जिनका जैसे कि भारत के अलावा अन्य देशों के अनेक संस्थानों द्वारा इस्तेमाल किए जाते हैं।
4.	कारण के कारण उल्लेखित विकलांगता	क. चिरकालिक तंत्रिका संबंधी स्थितियां	i. बहुत ऊतक दृढ़न	40% से कम विकलांगता	40%-80% विकलांगता	80% से अधिक विकलांगता
			ii. पार्किंसेन्जिज्म			
		ख. रक्त विकृतियां	i. हीमोफीलिया	40% से कम विकलांगता	40%-80% विकलांगता	80% से अधिक विकलांगता
			ii. थैलसीमिया			
			iii. सिक्ल सैल रोग			



5.	मूक बधिरता सहित बहुल विकलांगताएं		उपर्युक्त में से एक से अधिक विनिर्दिष्ट विकलांगताएं	<p>उपर्युक्त में किसी की मौजूदगी के संबंध में अलग अलग मामलों की अनुशंसाओं में निर्णय लेते समय उपर्युक्त सभी नामतः बहुल विकलांगता के एक घटक के रूप में दृष्टि, श्रवण, वाक् और भाषा विकलांगता, बौद्धिक विकलांगता और मानसिक विकलांगता पर विचार किया जाना चाहिए जब किसी व्यक्ति में एक से अधिक असमर्थकारी स्थिति मौजूद है, उत्पन्न होने वाली विकलांगता की संगणना करने के लिए, भारत सरकार द्वारा जारी की गई संबंधित राजपत्र अधिसूचना द्वारा अधिसूचित संयोजनकारी फार्मूले की अनुशंसा की जाती है:</p> <p style="text-align: center;"><u>क+ख (90-क)</u></p> <p style="text-align: center;">90</p> <p>(जहां क = विकलांगता के % का उच्च मूल्य और ख = विकलांगता के % का निम्न मूल्य जो भिन्न-भिन्न विकलांगताओं के लिए परिकलित किया गया हो। इस फार्मूले का इस्तेमाल बहुल विकलांगताओं वाले मामलों में किया जाए और व्यक्ति विशेष के मामले में मौजूद विशिष्ट विकलांगताओं के अनुसार दाखिले और/या आरक्षण के संबंध में अनुशंसा की जाए।</p>
----	----------------------------------	--	-----------------------------------------------------	--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

डॉ. कुमार विवेकानन्द, रजिस्ट्रार—सह—सचिव

[विज्ञापन-III/4/असा./171/19]

**टिप्पणी :** मूल विनियमों को भारत के असाधारण राजपत्र, भाग—III खण्ड—4, में सं. 12-18/89—केहोप दिनांक 16 नवंबर, 1989 तथा अंतिम अधिसूचना संख्या 12-11/2010—केहोप (पार्ट-II)(1) दिनांक 19 जून, 2019 द्वारा प्रकाशित किया गया था ।

(यदि होम्योपैथी (स्नातकोत्तर डिग्री पाठ्यक्रम) एम.डी.(होम.) द्वितीय संशोधन विनियम, 2019 के हिन्दी/अंग्रेजी संस्करण में कोई कमी पाई जाती है तो अंग्रेजी संस्करण को अंतिम माना जाएगा।)

## CENTRAL COUNCIL OF HOMOEOPATHY

### NOTIFICATION

New Delhi, the 2nd August, 2019

**No. 12-11/2010-CCH(Pt.II)(1).**—In exercise of the powers conferred by clauses (i), (j) and (k) of sub-section (1) of section 33 read with sub-section (1) of section 20 of the Homoeopathy Central Council Act, 1973 (59 of 1973), the Central Council of Homoeopathy, with the previous sanction of the Central Government, hereby makes the following regulations further to amend the Homoeopathy (Post Graduate Degree Course) M.D.(Hom.) Regulations, 1989, namely:—

1. (1) These regulations may be called the Homoeopathy (Post Graduate Degree Course) M.D.(Hom.) Second Amendment Regulations, 2019.
- (2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.
- (3) These regulations shall apply to students who shall be admitted for M.D.(Hom.) course from the commencement of the academic session 2019-2020.
2. In the Homoeopathy (Post Graduate Degree Course) M.D.(Hom.) Regulations, 1989, (hereinafter referred to as said regulations), in regulation 4, in sub-regulation (2), in clause (ii), after sub-clause (b), the following sub-clause shall be inserted, namely:-

“(c) Five percent of the annual sanctioned intake capacity in Government or Government aided higher educational institutions shall be filled up by candidates with benchmark disabilities in accordance with the provisions of the Rights of Persons with Disabilities Act, 2016 (49 Of 2016), based on the merit list of ‘All India AYUSH Post Graduate Entrance Test (AIA-PGET)’. For this purpose, the “Specified

Disability” contained in the Schedule to the Rights of Persons with Disabilities Act, 2016 (49 of 2016) is annexed in Annexure ‘I’ and the eligibility of candidates to pursue a course in homoeopathic medicine with specified disability shall be in accordance with Annexure ‘II’. If the seats reserved for the persons with disabilities in a particular category remain unfilled on account of unavailability of candidates, the seats shall be included in the annual sanctioned seats for the respective Category.”

3. In the said regulations, after Regulation 13, the following Annexure shall be inserted, namely:-

**“Annexure “I”**

(Refer regulation 4)

**A SCHEDULE is annexed regarding, “SPECIFIED DISABILITY” clause (zc) of section 2 of the Rights of Persons with Disabilities Act, 2016 (49 of 2016), that states as under,**

**1. Physical disability**

A. Locomotor disability (a person's inability to execute distinctive activities associated with movement of self and objects resulting from affliction of musculoskeletal or nervous system or both), including—

(a) "leprosy cured person" means a person who has been cured of leprosy but is suffering from—

(i) loss of sensation in hands or feet as well as loss of sensation and paresis in the eye and eye-lid but with no manifest deformity;

(ii) manifest deformity and paresis but having sufficient mobility in their hands and feet to enable them to engage in normal economic activity;

(iii) extreme physical deformity as well as advanced age which prevents him/her from undertaking any gainful occupation, and the expression "leprosy cured" shall construed accordingly;

(b) "cerebral palsy" means a Group of non-progressive neurological condition affecting body movements and muscle coordination, caused by damage to one or more specific areas of the brain, usually occurring before, during or shortly after birth;

(c) "dwarfism" means a medical or genetic condition resulting in an adult height of 4feet 10 inches (147 centimeters) or less;

(d) "muscular dystrophy" means a group of hereditary genetic muscle disease that weakens the muscles that move the human body and persons with multiple dystrophy have incorrect and missing information in their genes, which prevents them from making the proteins they need for healthy muscles. It is characterized by progressive skeletal muscle weakness, defects in muscle proteins, and the death of muscle cells and tissue;

(e) "acid attack victims" means a person disfigured due to violent assaults by throwing of acid or similar corrosive substance.

**B. Visual impairment—**

(a) "blindness" means a condition where a person has any of the following conditions, after best correction—

(i) total absence of sight; or

(ii) visual acuity less than 3/60 or less than 10/200 (Snellen) in the better eye with best possible correction; or

(iii) limitation of the field of vision subtending an angle of less than 10 degree.

(b) "low-vision" means a condition where a person has any of the following conditions, namely:—

(i) visual acuity not exceeding 6/18 or less than 20/60 upto 3/60 or upto 10/200(Snellen) in the better eye with best possible corrections; or

(ii) limitation of the field of vision subtending an angle of less than 40 degree up to 10 degree.

**C. Hearing impairment -**

(a) "deaf" means persons having 70 DB hearing loss in speech frequencies in both ears;

(b) "hard of hearing" means person having 60 DB to 70 DB hearing loss in speech frequencies in both ears;



D. "speech and language disability" means a permanent disability arising out of conditions such as laryngectomy or aphasia affecting one or more components of speech and language due to organic or neurological causes.

2. Intellectual disability, a condition characterized by significant limitation both in intellectual functioning (reasoning, learning, problem solving) and in adaptive behavior which covers a range of every day, social and practical skills, including—

(a) "specific learning disabilities" means a heterogeneous group of conditions wherein there is a deficit in processing language, spoken or written, that may manifest itself as a difficulty to comprehend, speak, read, write, spell, or to do mathematical calculations and includes such conditions as perceptual disabilities, dyslexia, dysgraphia, dyscalculia, dyspraxia and developmental aphasia;

(b) "autism spectrum disorder" means a neuro-developmental condition typically appearing in the first three years of life that significantly affects a person's ability to communicate, understand relationships and relate to others, and is frequently associated with unusual or stereotypical rituals or behaviours.

3. Mental behaviour,— "mental illness" means a substantial disorder of thinking, mood, perception, orientation or memory that grossly impairs judgment, behaviour, capacity to recognize reality or ability to meet the ordinary demands of life, but does not include retardation which is a condition of arrested or incomplete development of mind of a person, specially characterized by sub-normality of intelligence.

4. Disability caused due to—

(a) chronic neurological conditions, such as—

(i) "multiple sclerosis" means an inflammatory, nervous system disease in which the myelin sheaths around the axons of nerve cells of the brain and spinal cord are damaged, leading to demyelination and affecting the ability of nerve cells in the brain and spinal cord to communicate with each other;

(ii) "parkinson's disease" means a progressive disease of the nervous system marked by tremor, muscular rigidity, and slow, imprecise movement, chiefly affecting middle-aged and elderly people associated with degeneration of the basal ganglia of the brain and a deficiency of the neurotransmitter dopamine.

(b) Blood disorder—

(i) "haemophilia" means an inheritable disease, usually affecting only male but transmitted by women to their male children, characterized by loss or impairment of the normal clotting ability of blood so that a minor wound may result in fatal bleeding;

(ii) "thalassemia" means a group of inherited disorders characterized by reduced or absent amounts of haemoglobin.

(iii) "sickle cell disease" means a hemolytic disorder characterized by chronic anemia, painful events, and various complications due to associated tissue and organ damage; "hemolytic" refers to the destruction of the cell membrane of red blood cells resulting in the release of hemoglobin.

5. Multiple Disabilities (more than one of the above specified disabilities) including deaf blindness which means a condition in which a person may have combination of hearing and visual impairments causing severe communication, developmental, and educational problems.

6. Any other category as may be notified by the Central Government.

**Note:** Any amendment to the Schedule to the Rights of Persons with Disabilities Act, 2016(49 of 2016), shall consequently stand amended in the above Schedule.

### Annexure "II"

(Refer regulation 4)

#### **Guidelines regarding admission of students with "Specified Disabilities" under the Rights of Persons with Disabilities Act, 2016 (49 of 2016) with respect to admission in Postgraduate Courses in Homoeopathic Medicine**

**Note 1.** The "Certificate of Disability" shall be issued in accordance with the Rights of Persons with Disabilities Rules, 2017 notified in the Gazette of India by the Ministry of Social Justice and Empowerment [Department of Empowerment of Persons with Disabilities (Divyangjan)] on 15<sup>th</sup> June 2017.

2. The extent of "specified disability" in a person shall be assessed in accordance with the "Guidelines for the purpose of assessing the extent of specified disability in a person included under the Rights of Persons with Disabilities Act,

2016(49 of 2016)” notified in the Gazette of India by the Ministry of Social Justice and Empowerment [Department of Empowerment of Persons with Disabilities (*Divyangjan*)] on 4<sup>th</sup> January 2018.

3. The minimum degree of disability should be 40% (Benchmark Disability) in order to be eligible for availing reservation for persons with specified disability.

4. The term ‘Persons with Disabilities’ (PwD) is to be used instead of the term ‘Physically Handicapped’ (PH)

Sl. No.	Disability Type	Type of Disabilities	Specified Disability	Disability Range		
				Eligible for Post Graduate Course, Not Eligible for PwD Quota	Eligible for Post Graduate Course, Eligible for PwD Quota	Not Eligible for Post Graduate Course
1.	Physical Disability	A. Locomotor Disability, including Specified Disabilities (a to f).	a. Leprosy cured person*	Less than 40% disability	40-80% disability.  Persons with more than 80% disability may also be allowed on case to case basis and their functional competency will be determined with the aid of assistive devices, if it is being used, to see if it is brought below 80% and whether they possess sufficient motor ability as required to pursue and complete the course satisfactorily.	More than 80%
			b. Cerebral Palsy**			
			c. Dwarfism			
			d. Muscular Dystrophy			
			e. Acid attack victims			
			f. Others*** such as Amputation, Poliomyelitis, etc.			
		* Attention should be paid to loss of sensations in fingers and hands, amputation, as well as involvement of eyes and corresponding recommendations be looked at. ** Attention should be paid to impairment of vision, hearing, cognitive function etc. and corresponding recommendations be looked at. *** Both hands intact, with intact sensations, sufficient strength and range of motion are essential to be considered eligible for medical course				
		B. Visual Impairment (*)	a. Blindness	Less than 40% disability	-	Equal to or More than 40% Disability
			b. Low vision			
		C. Hearing Impairment @	a. Deaf	Less than 40% Disability	-	Equal to or more than 40% Disability
			b. Hard of hearing			
		(*) Persons with Visual impairment / visual disability of more than 40% may be made eligible to pursue Postgraduate Education and may be given reservation, subject to the condition that the visual disability is brought to a level of less than the				



			<p>benchmark of 40% with advanced low vision aids such as telescopes / magnifier etc.</p> <p>@ Persons with hearing disability of more than 40% may be made eligible to pursue Postgraduate Education and may be given reservation, subject to the condition that the hearing disability is brought to a level of less than the benchmark of 40% with the aid of assistive devices. In addition to this, the individual should have a speech discrimination score of more than 60%.</p>			
		D. Speech & language disability \$	Organic/ neurological causes	Less than 40% Disability	-	Equal to or more than 40% Disability
		<p>\$ Persons with Speech Intelligibility Affected (SIA) shall be eligible to pursue postgraduate courses, provided Speech Intelligibility Affected (SIA) score shall not exceed 3(three), which is 40% or below.</p> <p>Persons with Aphasia shall be eligible to pursue postgraduate courses, provided Aphasia Quotient (AQ) is 40% or below.</p>				
2.	Intellectual Disability		a. Specific learning disabilities (Perceptual disabilities, Dyslexia, Dyscalculia, Dyspraxia & Developmental aphasia) #	# currently there is no Quantification scale available to assess the severity of SpLD, therefore the cut-off of 40% is arbitrary and more evidence is needed.		
				Less than 40% Disability	<p>Equal to or more than 40% disability and equal to or less than 80%.</p> <p>But selection will be based on the learning competency evaluated with the help of the remediation/ assisted technology/ aids/ infrastructural changes by the Expert Panel</p>	More than 80% or severe nature or significant cognitive/ intellectual disability
			b. Autism spectrum disorders	Absence or Mild Disability, Asperger syndrome (disability of upto 60% as per ISAA) where the individual is fit for postgraduate course by an expert panel	Currently not recommended due to lack of objective method to establish presence and extent of mental illness. However, the benefit of reservation/quota may be considered in future after developing better methods of disability assessment.	More than 60% disability or presence of cognitive/intellectual disability and/or if the person is unfit for pursuing postgraduate course by an expert panel

3.	Mental Behaviour		Mental illness	Absence or mild Disability: less than 40% (under IDEAS)	Currently not recommended due to lack of objective method to establish presence and extent of mental illness. However, the benefit of reservation/quota may be considered in future after developing better methods of disability assessment.	Equal to or more than 40% disability or if the person is unfit to perform his/her duties. Standards may be drafted for the definition of “fitness to practice medicine”, as are used by several institutions of countries other than India.
4.	Disability caused due to	a. Chronic Neurological Conditions	i. Multiple Sclerosis	Less than 40% Disability	40-80% disability	More than 80%
			ii. Parkinsonism			
		b. Blood Disorders	i. Haemophilia	Less than 40% Disability	40-80% disability	More than 80%
			ii. Thalassaemia			
			iii. Sickle cell disease			
5.	Multiple disabilities including deaf blindness		More than one of the above specified disabilities	<p>Must consider all above while deciding in individual cases recommendations with respect to presence any of the above, namely, Visual, Hearing, Speech &amp; Language disability, Intellectual Disability, and Mental Illness as a component of Multiple Disability.</p> <p>Combining Formula as notified by the related Gazette Notification issued by the Govt. of India</p> $\frac{a + b (90-a)}{90}$ <p>(where a= higher value of disability % and b=lower value of disability % as calculated for different disabilities)</p> <p>is recommended for computing the disability arising when more than one disabling condition is present in a given individual. This formula may be used in cases with multiple disabilities, and recommendations regarding admission and/or reservation made as per the specific disabilities present in a given individual.”.</p>		

Dr. KUMAR VIVEKANAND, Registrar-Cum-Secy.

[ADVT.-III/4/Exty./171/19]

**Note:** The Principal regulations were published in the Gazette of India, Extraordinary, Part-III, Section-4, *vide* notification number 12-18/89-CCH, dated the 16<sup>th</sup> November, 1989 and were last amended *vide* notification number. 12-11/2010-CCH (Pt.II)(1), dated the 19<sup>th</sup> June, 2019.

(If any discrepancy is found between Hindi and English version of “Homoeopathy (Post Graduate Degree Course) M.D.(Hom.) Second Amendment Regulations, 2019”, the English version will be treated as final)